बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि १९ जून, १९७२।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में सोमवार, तिथि १९ जून, १९७२ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर :

जासूसों के खिलाफ कार्रवाई।

५७। श्री राज मंगल मिश्र--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय बिहार राज्य के कौन-कौन से व्यक्ति भारत के विरुद्ध जासूसी करने के अपराध में कैद किये गये थे; यदि हां, तो क्या सरकार बिहारी पाकिस्तानी जासूसी लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करना चाहती है; यदि नहीं, तो क्यों ?

अध्यक्ष--यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था और दो बिन्दुओं पर चूंकि सरकार उत्तर नहीं दे सकी, इसलिए इसको स्थगित किया गया था। एक तो फारबिसगंज में इदरिस मियां किस तरह से गिरफ्तार हुए और किस चार्ज पर ? और दूसरा इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए थे ? इन दोनों बिन्दुओं पर सरकार का उत्तर हो जाये; फिर पूरक प्रश्न पूछे जायंगे। यह मैं समय बचाने के लिए कर रहा हूं।

श्री रमेश झा--अध्यक्ष महोदय, मै आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्न के अन्तर्गत जो संदेह पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान युद्ध के सिलसिले में जो सी० आर० पी० सी०, आई० पी० सी० और रेलवे धारा के अन्तर्गत ५९ आदमी गिरफ्तार हुए फौरेन ऐक्ट के अन्तर्गत जो गिरफ्तारी हुई थी जिसका टोटल नम्बर २५० है।

श्री त्रिपुरारि प्रसाद सिंह--इसमें फौरेन ऐक्ट की चर्चा नहीं होगी।

श्री रमेश झा--फौरेन ऐक्ट के अन्तर्गत २५० आदमी गिरफ्तार हुए थे। जहांतक आपने अपना ध्यान आकृष्ट किया है कि इदरीस मियां फारबिसगंज में किस तरह से

बन्दूक लाइसेन्स जप्त करना ।

१७७५ । श्री भोला प्रसाद सिंह - क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मु० इदरीस, ग्राम-भेजा, थाना मधेपुर, जिला दरभंगा के बन्दूक लाइसेंस को जप्त कर लिया गया है, यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री केदार पाण्डेय—यह बात सही है कि श्री मु० इदरीस, ग्राम भेजा, थाना मधेपुर की बन्दूक मधेपुर थाना मोकदमा संख्या १०, दिनांक २४ दिसम्बर, १९७१, धारा ३९५ भा० द० स० के संबंध में जप्त की गई है । इधर उस इलाके में डकैती के बहुत से केस हुये हैं और विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि श्री मु० इदरीस ने अपनी बन्दूक का दुरुपयोग किया है ।

मुकदमे का फैसला ।

१७७६ । श्री भुनेश्वर शर्मा एवं श्री चिनमय मुखर्जी—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत इसलामपुर थाना के बेरथु ग्राम के श्रीमती चमेली देवी, पति (श्री रामदेव मुसहर) ने तारीख ४ अप्रील, १९७२ को इसलामपुर थाना के दारोगा पर विहार एस० डी० ओ० के पास इज्जत लूटने का मुकदमा किया था जो एस० पी० सिंह, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पास जांच में है;

(२) क्या यह बात सही है कि इस मुकदमा के मामले में इसलामपुर थाना के प्रभारी श्रीमती चमेली देवी के मुकदमा के गवाहों को तरह-तरह के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं जिसकी सूचना मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, डी० आई० जी० पुलिस के पास भेजा जो घटना के दो दिन बाद दी गयी थी;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार हरिजन महिला श्रीमती चमेली देवी के मुकदमें के निष्पक्ष फैसला के लिये थाना प्रभारी को स्थानान्तरित करना चाहती है, यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार पांडेय - (१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) श्रीमती चमेली देवी के गवाहों को पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देने की बात गलत है। श्रीमती चमेली देवी का एक आवेदन-पत्र विभाग में प्राप्त हुआ जिसे आरक्षी महानिरीक्षक को दिनांक २२ अप्रील, १९७२ को आवश्यक कार्रवाई करने के लिये भेज दिया गया।

(३) उपर्युक्त खण्डों के उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता है।

पदाधिकारी का स्थानान्तरण।

१७७७। श्री यमुना सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि आरक्षी सहायक अवर-निरीक्षक श्री विलक्षण मंडल कुरसैला आरक्षी शिविर में लगभग आठ वर्षों से पदस्थापित हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री के पास इनके विरुद्ध १९६४ ई० में श्री बद्री प्रसाद सिंह, ग्राम पुरानी बाजार, कुरसैला (पूर्णिया) द्वारा खाद्यान्न के व्यापारी से एक मोटी रकम घूस में लेकर उन्हें छोड़ देने का आरोप था;

(३) क्या यह बात सही है कि इनका स्थानान्तरण तीन-तीन बार स्थगित कर दिया गया था;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों को उत्तर हां में है, तो सरकार कब तक इन्हें वहां से हटाने का विचार करती है?

श्री केदार पाण्डेय—(१) उत्तर नकारात्मक है। श्री विलक्षण मंडल कुरसैला शिविर में दिनांक १८ दिसम्बर, १९६९ से पदस्थापित किये गये। कुरसैला शिविर से बहादुरगंज थाना में दिनांक १२ अप्रील, १९७१ को स्थानान्तरण हुआ था परन्तु ग्राम पंचायत के चुनाव, विधि व्यवस्था की समस्या, नकसलपंथी तत्वों को दबाने में सक्रिये सहयोग देने आदि को देखते हुए इनका स्थानान्तरण आदेश रद्द किया गया। हाल में इनका स्थानान्तरण चम्पानगर ओ० पी० में हुआ है।

(२) इस संबंध में ऐसा कोई परिवाद-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(२) उत्तर नकारात्मक है।

(४) उपर्युक्त खंडों के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता है।